नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए

पत्रावली पेश हुई। अपीलान्ट अधिवक्ता उपस्थित। रेस्पोडेन्ट की ओर से आदिनांक तक एक पक्षीय कार्यवाही निरस्त करने का प्रार्थना पत्र पेश नही हुआ। अतः न्यायहित में बन्द किया जाता हैं। प्रकरण में बहस अपीलान्ट अधिवक्ता सुनी गई। दौराने बहस अपीलान्ट अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को बार–बार दोहराते हुए प्रार्थना पत्र अपील विरूद्व आदेश दिनांक NIL बाबत नामान्तरकरण संख्या 1511 ग्राम सिरोही तहसील नीमकाथाना स्वीकार फरमाने का निवेदन किया।

पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किया गया एवं बहस अपीलान्ट अधिवक्ता पर सगौर मनन किया गया। चूंकि राजस्व ग्राम सिरोही तहसील नीमकाथाना अवस्थित पुराने ख0नं0 669, 670 कुल किता 02 कुल रकबा 1.90 है0 में 1/2 हिस्से की खातेदारी पूर्व में सुलतान, फूलचन्द, बनवारी पुत्र गोपाल व छोटी पत्नी गोपाल के नाम दर्ज थी। उक्त खातेदारान ने अपने 1/2 हिस्से की भूमि में से 47/71 हिस्सा घीसारा, मालाराम, बाबूलाल पुत्र रामनिवास, रामधन पुत्र श्योदान को विक्रय कर दिया था जिसकी खातेदारी राजस्व रिकार्ड में दर्ज हो गयी थी। छोटी पत्नी गोपाल ने अपना 1/8 हिस्सा व रेस्पोडेन्ट सं0 1 ता 3 ने अनी खातेदारी का शेष 24/71 हिस्सा अपीलान्ट सं0 1 ता 3 व स्व0 जगदीश को दिनांक 13.09.2000 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र बेचान कर कब्जा सम्भला दिया था। जगदीश का देहान्त दिनांक 19.06.2015 को हो गया जिसके वारिस अपीलान्ट नं0 4 ता 8 हैं। उक्त विक्रय पत्र के आधार पर पटवारी हल्का ने दिनांक 15.12.2000 को नामान्तरकरण संख्या 1511 दर्ज कर ग्राम पंचायत सिरोही के समक्ष प्रस्तुत किया गया उसमें छोटी बेवा गोपाल को बदस्तूर रख दिया गया। जबकि उक्त भूमियों में उसका कोई हिस्सा शेष नही रहा था। जिस कारण विधि विरूद्व विवादित नामान्तरकरण स्वीकार किया गया हैं। रेस्पोडेन्ट सं0 1 ने अपीलान्ट्स के प्रार्थना पत्र अपील विरूद्व नामान्तरकरण को स्वीकार किये जाने हेतु राजीनामा पेश किया हैं।

अतः नामान्तरकरण संख्या 1511 ग्राम सिरोही दिनांक NIL को विवादित मानते हुए खारिज किया जाकर तहसीलदार नीमकाथाना को आदेश दिया जाता हैं कि उक्त विवादित नामान्तरकरण संख्या 1511 ग्राम सिरोही दिनांक NIL को अन्तर्गत धारा 135 (2) राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 दर्ज किया जाकर विवादित पक्षकारान को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करते

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2025.10.28 12:36:49 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज

हुए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांकित 13.09.2000 के अनुसार गुणावगुण पर निर्णय विधिसम्मत पारित करें। तहसीलदार नीमकाथाना को निर्णय की पालनार्थ तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। यह निर्णय आज दिनांक 07.10.2025 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय मुद्रा से खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजवीर सिंह यादव)
उपखण्ड अधिकारी,
नीमकाथाना

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2025.10.28 12:36:49 IST
Reason: SelfAttested